

कार्यक्रम अनुदान मानक अनुदान (अधिकतम)

आलू एवं साखियों की फसल पर कुरुमुला कीट नियंत्रण	75 प्रतिशत	
औद्योगिक फसलों के व्यवहारीकरण (अरक, हरी, स्लोडियोलाई)	50 प्रतिशत	
वाटर हार्वैस्टिंग टैंक निर्माण (XXXL1.5 मीटर)	50 प्रतिशत	रु० 5000 प्रति टैंक
ब - चयनित विकास खण्डों में महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण		रु० 350 प्रति प्रशिक्षणार्थी
महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण (7 दिन)		
द - चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फलों एवं फल पट्टियों का समन्वित विकास		
विभिन्न फलों एवं फल पट्टियों का समन्वित विकास	50 प्रतिशत	रु० 5000 प्रति हैो
(नवे उद्यानों का रोपण)		अधिकतम 1 हैो तक
राज्य सैक्टर		
1. पुराने पॉली हाउसों की फटी पीलीथिन बदलने की योजना	75 प्रतिशत	रु० 30000 प्रति हैो
2. पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार		रु० 33300 प्रति हैो
3. पुराने उद्यानों की घेरबाड	50 प्रतिशत	निःशुल्क
4. निःशुल्क फलपौध रोपण योजना		
5. पॉली हाउस निर्माण पर अनुदान	30 प्रतिशत	
ऑन फार्म जल प्रबन्धन (OFWM)		
अ. टपक सिंचाई (सेवा/आम)	60 प्रतिशत	अधिकतम 4 हैो प्रति लाभार्थी
ब. पुष्पारा सिंचाई (सखी फसल)	60 प्रतिशत	अधिकतम 4 हैो प्रति लाभार्थी

जिला उद्यान अधिकारी  
दिल्ली गढ़वाल  
दूरभाष : 01376-232156

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग  
उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यान्वित योजनायें

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना  
(हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स)

**कार्यक्रम**

**1. क्षेत्र विस्तार**

कार्यक्रम	अनुदान मानक	अनुदान (अधिकतम)
फल (सबन रोपण)	50 प्रतिशत	रु० 60000 प्रति हे० 60:20:20 (तीन वर्षों में) अधिकतम 4 हे०
फल (सामान्य रोपण)	50 प्रतिशत	रु० 30000 प्रति हे० 60:20:20(तीन वर्षों में) अधिकतम 4 हे०
सब्जी (पौध वाली) संकर प्रजाति	50 प्रतिशत	रु० 25000 प्रति हे० अधिकतम 2 हे० प्रति लाभार्थी
पुष्प (गेन्ड)	50 प्रतिशत	रु० 20000 प्रति हे० अधिकतम 2 हे० प्रति लाभार्थी
मसाला	50 प्रतिशत	रु० 15000 प्रति हे० अधिकतम 4 हे०
पुद्गल पेड़ों का जीवोद्यम	50 प्रतिशत	रु० 20000 प्रति हे० अधिकतम 2 हे० प्रति लाभार्थी
2. पौली हाउस (सामान्य)	50 प्रतिशत	रु० 6095 प्रति वर्ग मीटर 200 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी
3. ओला अवरोधक जाली (एन्टी हेल नेट)	50 प्रतिशत	17.50 प्रति वर्ग मीटर 5000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी
4. शेडनेट हाउस	50 प्रतिशत	रु० 355 प्रति वर्ग मीटर 4000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी
5. तकनीकी हस्तान्तरण कृषक प्रशिक्षण प्रदेश के अन्दर (7दिवसीय)		रु० 1000 प्रति कृषक
6. जैविक कृषि प्रोत्साहन		रु० 10000 प्रति हे० तीन वर्षों में प्रथम वर्ष 4000 द्वितीय 3000 तृतीय 3000
अ. आर्गनिक फार्मिंग		

**कार्यक्रम**

कार्यक्रम	अनुदान मानक	अनुदान (अधिकतम)
ब. वर्मी कम्पोस्ट (30X8X2.5 फीट)	50 प्रतिशत	रु० 50000 प्रति यूनिट
7. कृषि उपकरणों को प्रोत्साहन	35 प्रतिशत	105000 प्रति यूनिट
ट्रैक्टर 20 एचपी तक	50 प्रतिशत	50000 प्रति यूनिट
पावर हिलर 8 वीएचपी तक	50 प्रतिशत	125000 प्रति यूनिट
स्वचालित मशीन		
8. एकीकृत कीटनाशी प्रबन्धन	50 प्रतिशत	रु० 1200 प्रति हे०
एकीकृत कीटनाशी प्रबन्धन		
9. मधुमक्खी विकास		
मधुमक्खी विकास		रु० 800 प्रति कालोनी व रु० 800 प्रति मैन बाक्स पर अनुदान कुल रु० 1600.00 (अधिकतम 50 बाक्स प्रति लाभार्थी)

**विभागीय याजनाएँ  
जिला सैक्टर/राज्य सैक्टर**

कार्यक्रम	अनुदान मानक	अनुदान (अधिकतम)
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास	50 प्रतिशत	5000 प्रति हे० अधिकतम
उद्योग विकास (नये उद्योगों का रोपण)	50 प्रतिशत	2 हे० प्रति लाभार्थी 20000 प्रति हे० अधिकतम
आलू विकास	50 प्रतिशत	1 हे० प्रति लाभार्थी
उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन एवं व्ययनित क्षेत्रों में फल पट्टियों का विकास	50 प्रतिशत	
अ- औद्योगिक विकास के परिवहन एवं विभिन्न निवेशों पर राज सहायता	50 प्रतिशत	
कीट व्याधि की टोकथाम	50 प्रतिशत	
औद्योगिक औजार/संयंत्रों के वितरण	50 प्रतिशत	